न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
11/2020	2020/00018	18.06.2020	26.02.2021

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

–: प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्रीमती अपुर्वा पालीवाल, प्रोपराईटर आद्या इण्डेन गैस सर्विस तहसील प्रतापगढ़
2. श्री जब्बार पुत्र छोटे खां, बावडी मोहल्ला, प्रतापगढ़
3. श्री अंकित पुत्र श्री जगदीश धोबी, अरनिया, प्रतापगढ़

–: विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955के तहत

उपस्थिति :–

1. श्री प्रवीण जैन,पैरोकार सरकार
2. श्री शरद चिप्पड अधिवक्ता अप्रार्थी

–: आदेश :–

दिनांक 26.02.2021

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थी/विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री शरद कुमार चिप्पड द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2021 को पेश किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार रसद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि पुलिस गश्त थाना धरियावद द्वारा दिनांक 11.06.2020 को 56 LPG गैस सिलेण्डर आद्या गैस ऐजेन्सी प्रतापगढ़ के इंद्र पैलेस धरियावद की सीढयों के नीचे रखे हुए थे जिन्हें पुलिस गश्ती दल द्वारा जबरन थाना धरियावद परिसर में मय वाहन रखवाते हुए रसद विभाग को सूचना दी गई जिसकी ताईद में दिनांक 12.06.2020 को इन्द्र पैलेस धरियावद पहुंचने पर पाया कि मौके पर 6 LPG गैस सिलेण्डर 4 भरे तथा 2 खाली और मौके पर मिले उपस्थित व्यक्ति द्वारा उक्त सिलेण्डर आद्या गैस एजेन्सी, प्रतापगढ़ का होना

320

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

बताया जिन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अवैध भण्डारण एवं परिवहन का दोषी मानते हुए धारा 6 (ए) के तहत राजसात की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य है।

इसी प्रकम में उपस्थित अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों के हवाले से बताया कि विपक्षी एक पंजीकृत गैस ऐजेन्सी है जिसके लगभग 300 उपभोक्ता धरियावद क्षैत्र में है जिन्हें सप्लाई हेतु पोईंट निर्धारित कर वितरण कार्य किया जा रहा था वक्त कार्यवाही दिनांक 11.06.2020 एवं 12.06.2020 को लॉक डाउन होने के कारण वितरण कार्य एक सुगम पहचान स्थल से किया जा रहा था। समस्त गैस सिलेण्डर विधिवत डिलीवरी रसीद ऑन लाईन बुकिंग अनुसार ऐजेन्सी की गाडी के साथ रखे हुए थे जिनकी कोई हैराफेरी नहीं की जा रही थी। और विपक्षी के विरूद्ध किसी के द्वारा अनियमितता बाबत् शिकायत भी नहीं की गई थी किन्तु पुलिस गश्तीदल द्वारा उक्त सिलेण्डर पुलिस थाना के रखवाया जाकर रसद विभाग को सूचना की जिसमें विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उक्त सिलेण्डर को अन्यथा राजसात किया जाना संबंधित उपभोक्ताओं और ऐजेन्सी को क्षतिकारित करेगा जिसके विरूद्ध धारा 6 (ए) में प्रस्तुत प्रकरण न्याय एवं नियमों के विरूद्ध होने से खारीज किया जाना उचित रहेगा। साथ ही अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश राकेश कुमार बनाम म.प्र. राज्य 2014(1) मनिसा 102 –2013(111) M.P. W.N नोट 83 पृष्ठ संख्या 233 के हवाले से बताया कि "LPG गैस सिलेण्डर का परिवहन एवं रखना अवैध नहीं जब तक की काला बाजारी प्रमाणित नहीं हो जाती।" अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6(ए) खारीज फरमाया जावे।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रकरण में जब्त 60 LPG गैस सलेण्डर वक्त जप्ती कार्यवाही आद्या गैस ऐजेन्सी अधिकृत विक्रेता की सप्लाई कारणों से मौके पर प्राप्त हुए है तथा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार उक्त सलेण्डर उज्जवला योजना एवं अन्य ग्राहकों के बुकींगरत होकर उनका परवहन, भण्डारण नियत पोईंट से लाकॅ डाउन अवधि के दौरान किया जाना संभव है साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में विपक्षी का पक्ष रखता है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देश दिए जाते है कि वक्त कार्यवाही 11.06.2020 को जब्त सिलेण्डर अधिकृत आद्या गैस ऐजेन्सी के लौटाये जावे तथा विधिवत वितरण प्रणाली अपनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर लिखाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner